



कार्यालय मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर

CIN: U40109MP2002SGC015120

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

SHED NO. 3, RAMPUR, JABALPUR, PHONE: 0761-2663987, 2702345 FAX NO.0761-2665184,2665958 EMAIL : cejr9440000@gmail.com

कमांक / मु.अ. / ज.क्षे. / मा.संसा. / स्था-2 / 7438

जबलपुर, दिनांक : 27.3.2018

सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लाईन कर्मचारी एवं परीक्षण सहायकों का अनुबंधित करने संबंधी विज्ञापन।

- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा. एवं प्रशा.) के पत्र क्र. 454-455 दिनांक 19.01.2018 के परिपालन में मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, एवं डिंडौरी जिले में सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लाईन कर्मचारी एवं परीक्षण सहायकों को अनुबंधित करने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
- अनुबंधित किये जाने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है

क्षेत्र	अनुबंधित किये जाने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या		
	सहायक अभियंता	कनिष्ठ अभियंता	लाईन कर्मचारी / परीक्षण सहायक
जबलपुर	12	36	38

उपरोक्त तालिका में दर्शायी संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटायी जा सकती है।

- अनुबंध अवधि व मासिक मानदेय:** अनुबंध अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष की होगी, जिसकी गणना अनुबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक की उपस्थिति की दिनांक से की जावेगी। एक वर्ष की अवधि के पश्चात अनुबंध स्वमेव समाप्त माना जावेगा तथा अनुबंध समाप्त करने के लिये पृथक आदेश जारी नहीं किया जावेगा। अनुबंध अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

अनुबंध अवधि के दौरान देय मासिक मानदेय निम्नानुसार होगा:

क्र	पद	मानदेय (प्रतिमाह) (रु.में)
1	सहायक अभियंता	25000
2	कनिष्ठ अभियंता	20000
3	लाईन कर्मचारी / परीक्षण सहायक	15000

उपरोक्त तालिका में वर्णित मासिक मानदेय के अतिरिक्त किसी और प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

4. चयन प्रक्रिया:

- विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक प्रपत्र 'अ' में आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) कार्यालय शेड नं. 03 रामपुर जबलपुर में अंतिम दिनांक तक प्रेषित करेंगे। विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक को साक्षात्कार हेतु मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) कार्यालय शेड नं. 03 रामपुर जबलपुर में बुलाया जावेगा।
- मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर द्वारा गठित साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जावेगा।

- (3) साक्षात्कार में चयनित सेवानिवृत्त कार्मिकों को अनुबंधित किये जाने हेतु आदेश जारी किया जावेगा तथा चयनित सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।
- (4) अनुबंधित सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं को जबलपुर क्षेत्रांतर्गत वृत्त कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में व कनिष्ठ अभियंताओं तथा लाईन कर्मचारी/परीक्षण सहायकों को संभागीय कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संलग्न किया जावेगा। नियंत्रणकर्ता अधिकारियों द्वारा योजना के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक (दी.द.उपा.ग्रा.ज्यो.यो) मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित कराया जावेगा।
- (5) अनुबंधित किये जाने हेतु जारी आदेश 15 दिन तक प्रभावशील होगा, इस अवधि में यदि अनुबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो अनुबंध आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जायेगा।
- (6) अनुबंधित किये गये सेवानिवृत्त कार्मिकों का मुख्यालय मुख्य महाप्रबंधक (दी.द.उपा.ग्रा.ज्यो.यो) एवं मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार होगा।

5. अनुबंधित किये जाने हेतु अर्हतायें :

- (1) म.प्र.राज्य विद्युत मंडल/उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों यथा पावर मैनेजमेंट व वितरण कंपनियों से सहायक अभियंता (विद्युत), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), लाइन कर्मचारी व परीक्षण सहायक के पद से सेवानिवृत्त कार्मिक।
- (2) सेवानिवृत्त कार्मिक की आयु आवेदन करने की अंतिम तिथि की स्थिति में 65 वर्ष से अधिक न हो। अनुबंध अवधि के दौरान कार्मिक द्वारा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अनुबंध अवधि समाप्त मानी जावेगी।
- (3) शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम होना अनिवार्य है।

6. अनर्हतायें :

- (1) सेवानिवृत्त कार्मिक की निष्ठा के बारे में उसकी सेवाकाल के दौरान कोई संदेह या आक्षेप किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी नहीं रही हो।
- (2) सेवा से पदच्युत अथवा सेवा से हटाये जाने पर या उसके विरुद्ध विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होने पर।
- (3) उसका स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में न होने पर।

7. अनुबंधित किये जाने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों के कार्य का स्वरूप/दायित्व

सहायक अभियंता	कनिष्ठ अभियंता	लाइन कर्मचारी / परीक्षण सहायक
सौभाग्य योजनान्तर्गत 11 के.व्ही. लाइन का विस्तार, वित. ट्रांस. स्थापित करना एवं एल.टी. लाइन का विस्तार कर अविद्युतीकृत घरों में विद्युत प्रदाय किया जाना है। इस हेतु संबंधित जिले/संभागों में किये जा रहे कार्यों का क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री को सुनिश्चित किया जाना होगा, साथ ही उच्च कार्यों को समय-समय पर कार्य की प्रगति से अवगत कराना एवं अधीक्षण अभियंता एवं कंपनी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।		सौभाग्य योजनान्तर्गत 11 के.व्ही. लाइन का विस्तार, वित. ट्रांस. स्थापित करना एवं एल.टी. लाइन का विस्तार कर अविद्युतीकृत घरों में विद्युत प्रदाय किया जाना है। इस हेतु संबंधित वितरण केन्द्रों में किये जा रहे संपूर्ण कार्यों का क्रियान्वयन, सुनिश्चित किया जाना होगा।

Handwritten signature


8. अन्य शर्तें :

- (1) अनुबंध की शर्तों का पालन न करने/सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरतने/उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने/अनुबंध अवधि के दौरान स्वस्थ न होने/बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने/गलत जानकारी देने/वित्तीय अनियमितता इत्यादि पाये जाने की स्थिति में अनुबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक का अनुबंध मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर (अनुबंधकर्ता अधिकारी) द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
- (2) चयन उपरांत सभी अनुबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिये मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर अनुबंधकर्ता प्राधिकारी रहेंगे तथा चयनित सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर के साथ रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।
- (3) निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्रसुविधाएं/भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- (4) सेवानिवृत्त कार्मिक को कार्यरत् कार्मिकों को प्राप्त होने वाले अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
- (5) अनुबंध अवधि में केवल 13 दिवसों के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिवसों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त सामान्य अवकाश की पात्रता होगी, परंतु आकस्मिक स्थिति/प्रशासनिक आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में अनुबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों को अवकाश के दिनों में भी कार्य पर बुलाये जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- (6) अनुबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक नियमानुसार देय पेंशन यथावत प्राप्त करते रहेंगे।
- (7) कंपनी के कार्य से यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी, जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
- (8) अनुबंधित कार्मिकों पर म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।
- (9) अनुबंधित कार्मिकों को आवास हेतु आवास उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
- (10) अनुबंधित कार्मिकों को सेवा निवृत्त हुये अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा के समान ही चिकित्सा सुविधा निरन्तर जारी रहेगी।
- (11) एक जगह का कार्य समाप्त हो जाने अथवा कार्य की प्राथमिकता पर अन्य स्थान के कार्य सौंपे जाने पर अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- (12) अनुबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक निर्धारित किये गये मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित करेगा।

9. महत्वपूर्ण दिनांक: चयन प्रक्रिया से संबंधित दिनांक निम्नानुसार है-

क्रं.	विवरण	दिनांक
1.	विज्ञापन जारी करने की तिथि	28.03.2018
2.	आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक	28.03.2018
3.	आवेदन की अंतिम दिनांक	समस्त रिक्त पदों की पूर्ती तक
4.	साक्षात्कार दिनांक	प्रत्येक सोमवार समय 2 बजे अपराह्न

अपरिहार्य कारण से उक्त तिथियों में फेरबदल संभव है। इस हेतु श्री अतुल विश्वकर्मा मो.नं. 7974124075 से संपर्क


मुख्य अभियंता (ज.क्षे.)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर

आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य अभियंता (ज.क्षे.)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.,
शेड नं. 03 रामपुर,
जबलपुर (म.प्र.) पिन- 482008

स्वसत्यापित
नवीनतम
पासपोर्ट साइज
का फोटो

विषय- सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लाईन कर्मचारी एवं परीक्षण सहायकों को अनुबंधित करने हेतु आवेदन पत्र।

संदर्भ- मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक

महोदय,

संदर्भित विज्ञापन पत्र के अनुक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मेरा विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदक का पूरा नाम
2. पिता का नाम
3. सेवानिवृत्ति के समय पद (मूल पद)
4. सेवानिवृत्ति दिनांक (सेवानिवृत्त आदेश संलग्न करें)
5. संभाग/कार्या. का नाम जहां पदस्थ थे
6. जन्मतिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं पद
8. पत्र व्यवहार का पूरा पता
9. ई-मेल पता एवं मोबाईल नं.

10. मेरे विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही/दंडावधि की जानकारी निम्नलिखित है :-

- | | | |
|--|----|----------|
| (अ) आरोप पत्र लंबित है | :- | हां/नहीं |
| (ब) विभागीय जांच संस्थित है | :- | हां/नहीं |
| (स) न्यायालय में आपराधिक/सिविल प्रकरण लंबित है | :- | हां/नहीं |
| (द) ई.ओ.डब्ल्यू/लोकायुक्त में प्रकरण लंबित है | :- | हां/नहीं |
| (ई) आवेदक सेवानिवृत्ति की तिथि में निलंबित था | :- | हां/नहीं |
| (य) कंपनी की सेवा पदच्युति/सेवामुक्ति | :- | हां/नहीं |

वचन पत्र

उपरोक्त जानकारी मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि भविष्य में उपरोक्त जानकारी में से कोई तथ्य विज्ञापन में निर्धारित की गई अर्हता से सुसंगत नहीं पाया जाता है तो मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा और मुझे इस कारण प्रदान किये गये समस्त लाभों से वंचित किया जा सकेगा।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम : -.....

पद :-.....

पता :-.....

.....

